

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
घण्टाघर, सहारनपुर।

पत्रांक:- 3276 / वि०वि०म०द्वितीय/स०पुर/नि०
विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्दुस्तान,
मेरठ संस्करण)।

दिनांक :- 01/3/23
विज्ञापन व्यवस्थापक
मानव जगत
सहारनपुर (संस्करण)।

विज्ञापन आदेश

महोदय,

कृपया संलग्न 1 नं० विज्ञापन नि० सूचना अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र में दिनांक 02.03.2023 तक के अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 8-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 6-8 प्वाइन्ट टाइप में (समाचार पत्रों के केवल एक कालम में) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैंडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली, बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचनाएँ बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा नि० सूचनाओं का प्रकाशन नि० हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अधिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन को दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुये भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को/अधोहस्ताक्षरी को (जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
 3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
 5. यदि आपकी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन को प्रकाशित न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
 6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्रीय हित में बिजली बचाएँ का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
 7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गन्दे अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।
- संलग्नक-1-विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति

भवदीय,

पत्रांक:- 3276 / दिनांक:-

01/3/23

अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle-II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क मेरठ को इस अनुसंधान के साथ प्रेषित कि संलग्नित नि०ए निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 2- मुख्य अभियन्ता (वितरण) सहारनपुर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
- 3- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ
- 4- उप मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, जोनल कार्यालय सहारनपुर।
- 5- अधिषासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर/रामपुरमनिहारान/नकुड।
- 6- N.I.E.L.T. (Docacc Center) Unit, PVVNL को डिस्काम की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
- 7- नोटिस बोर्ड


अधीक्षण अभियन्ता

Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle-II
SAHARANPUR

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

मण्डल/खण्ड/उपखण्ड/परीक्षण खण्ड/परीक्षण शालाओं के कार्यालय हेतु डीजल चालित हल्का वाहन (ड्राइवर सहित) अवधि एक वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 तक उपलब्ध कराने का कार्य हेतु अल्पकालीन ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। धरोहर राशि रुपये 3000.00 (तीन हजार रुपये मात्र) मण्डल के खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से जमा करायी जाये

ई-नि० सं० 162/डब्लू/2022-23 :- अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि० मण्डल-द्वितीय, स०पुर हेतु, ई-नि० सं० 163/डब्लू/2022-23 :- सहायक अभियन्ता (आई० टी०) वि०वि० मण्डल-द्वितीय, स०पुर हेतु ई-नि० सं० 164/डब्लू/2022-23 :- अधिशासी अभियन्ता, वि०वि० ख०-द्वितीय, स०पुर हेतु, ई-नि० सं० 165/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-कैलाशपुर हेतु, ई-नि० सं० 166/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-आई०टी०आई० हेतु, ई-नि० सं० 167/डब्लू/2022-23 :- अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०ख०-रामपुर मनि० हेतु, ई-नि० सं० 168/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-रामपुर मनि० हेतु, ई-नि० सं० 169/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-नानौता हेतु, ई-नि० सं० 170/डब्लू/2022-23 :- अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०ख०-नकुड हेतु, ई-नि० सं० 171/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-नकुड हेतु, ई-नि० सं० 172/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-गंगोह हेतु, ई-नि० सं० 173/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-अम्बेहटा हेतु, ई-नि० सं० 174/डब्लू/2022-23 :- उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उप०-मानकमउ हेतु, ई-नि० सं० 175/डब्लू/2022-23 :- अधिशासी अभियन्ता, वि०परी०ख०-द्वितीय, स०पुर हेतु, ई-नि० सं० 176/डब्लू/2022-23 :- सहायक अभियन्ता (मीटर), वि०परी०शाला-चतुर्थ, स०पुर हेतु, ई-नि० सं० 177/डब्लू/2022-23 :- सहायक अभियन्ता (मीटर), वि०परी०शाला-रामपुर मनि० हेतु, ई-नि० सं० 178/डब्लू/2022-23 :- सहायक अभियन्ता (मीटर), वि०परी०शाला-नकुड हेतु। उपरोक्त ई-निविदायें दिनांक 17.03.2023 को 13.00 बजे तक जमा की जायेगी तथा इनका प्रथम भाग उसी दिन 14:00 बजे के बाद खोला जायेगा। नि० की विस्तृत जानकारी एवं नि० में यदि कोई संशोधन अथवा नि० खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई-टेंडर वेबसाइट www.pvvn.org, तथा निगम की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।


अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर
Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle-II,
SAHARANPUR

